राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
76/24	21.11.24	21.11.24

बउनवान

प्रभूदयाल पुत्र छाजूराम निवासी महुखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा हाल निवासी बी.एन.जोशी स्कूल के पीछे, वार्ड नम्बर 20 बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा (राज.)।

...अप्रार्थी

उपस्थित : श्री लक्ष्मीनारायण मीना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 89 पुराना 84 का खसरा नम्बर 751/506 रकबा 1.72 हैक्टे. वाके रामा ग्राम महुकला पटवार हल्का महुखुर्द भू.अ.नि. गोलाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा भूमि उक्त का समय–समय पर लगान अदा करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 751/506 रकबा 1.72 हैक्टे. का सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी के आदेश क्रमांक/भू.अ./20/1820 दिनांक 20.05.2024 की पालना में दिनांक 16.10.2024 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी की उपस्थिति में किया गया और मौके पर पर्चा तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गये जो पूर्णतया विवाद विनिश्चय है एंव भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी उक्त भूमि में दिनांक 16.10.24 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार भूमि पर पत्थरगढी करवाकर उसमें चिन्ह कायम करवाना चाहता है जो भूमि की सुरक्षा के लिये अति आवश्यक है जिससे की भविष्य में अन्य खातेदारान से किसी भी प्रकार का उक्त भूमि में सीमाज्ञान को लेकर विवाद न हो सके। प्रार्थी उक्त भूमि को सुधार करवाकर भूमि के चारो और मेड बन्दी व तारो से फैन्सिंग करवाना चाहता है जिसके लिये उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है, बिना पत्थरगढी के भविष्य में विवाद होने की सम्भावना है। आस पास की भूमि अन्य खातेदारान की होने व प्रार्थी की भूमि में सीमाज्ञान अनुसार पत्थर गढी नहीं होने से भविष्य में विवाद की विषय वस्तु हो सकती है। प्रार्थी निहायत ही सीधा साधा, बुजुर्ग व्यक्ति है तथा भूमि सीमाज्ञान को लेकर विवाद नही चाहता है तथा भविष्य की संभावनाओं व अपूर्णीय क्षति से बचने के लिये उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाया जाना अति आवश्यक हुआ है। अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 751/506 रकबा 1.72 हैक्टेयर वाके ग्राम महुकला पटवार हल्का महुखुर्द भू.अ.नि. गोलाडा तहसील बैजूपाडा की पत्थरगढी मौके पर करवायी जाने के आदेश फरमाये जावे एवं अन्य आदेश जो न्यायहित में हो फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम महुकलॉ पटवार हल्का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रा. पत्र संख्या 76/24
प्रभुदयाल बनाम सरकार
निर्णय दिनांक 21.11.24

महुखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 751/506 रकबा 1.72 हैक्टे. का प्रार्थी दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजी का दिनांक 16.10.24 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम महुकलॉं पटवार हल्का महुखुर्द तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 751/506 रकबा 1.7200 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियूक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner